प्रारूप–II

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, पटना

पत्रांकः–03/बि0रा0स0नि0–08/2015-57 दिनांकः–12.05.2026

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा०प्र०से
निदेशक,नियोजन एवं प्रशिक्षण
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, पटना।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में निदेशालय नियोजन के अंतर्गत बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो द्वारा प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) के रंगीन विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन की मूल प्रति की सी0डी0 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में निदेशालय नियोजन के अंतर्गत बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो से संबंधित रंगीन विज्ञापन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आधे–आधे पृष्ठ में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुनील कुमार)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, पटना।

ज्ञापांक– 03/बि0रा0स0नि0–08/2015-57 पटना–01, दिनांक–12.05.2026

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

2. सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।
3. श्री सुनील कुमार, नोडल पदाधिकारी e-advertisement Portal को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. श्रीमती प्रियेश नंदनी, आई0टी0मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

12/5/26

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, पटना।

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार

रोजगार हेतु विदेश जाने वाले कामगार बंधुओं के लिए आवश्यक सूचना

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो द्वारा विदेश जाने के पूर्व अल्पकालीन निःशुल्क प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) कराया जाता है, जिसमें प्रवास करने वाले देश के श्रम कानून, प्रवासी रोजगार और संबंधित नियमों की जानकारी, अधिकार एवं जिम्मेदारियों के साथ देश के रीति-रिवाज एवं संस्कृति से अवगत कराया जाता है, जो आपके लिए विदेश में कार्य करने के दौरान सहायक होगा। इसलिए प्रशिक्षण उपरांत ही रोजगार के लिए प्रस्थान करें।

इमीग्रेशन क्लीयरेंस (EC) वाले देश जाने से पहले प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) अनिवार्य है।

रोजगार हेतु विदेश जाने के पूर्व कृपया इसे सुनिश्चित करें :-

1. रोजगार हेतु विदेश जाने से संबधित किसी भी प्रकार की सूचना नजदीकी नियोजनालय से प्राप्त की जा सकती है।
2. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत भर्ती करने वाले एजेंटों की सूची www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है, जिनके माध्यम से ही उत्प्रवास करें।
3. प्रस्थान से पहले नियोक्ता की पूरी जानकारी प्राप्त कर ही उत्प्रवास करें।
4. कभी भी वैध दस्तावेजों और वर्क वीजा के साथ ही यात्रा करें।
5. रोजगार अनुबंध को हस्ताक्षर करने से पहले अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों, वेतन, कार्य की स्थितियों और विदेशी नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित की गई अन्य सुविधाओं के बारे में पढ़ कर अच्छी तरह समझने के उपरांत ही हस्ताक्षर करें और एक प्रति अपने पास रखें।
6. ध्यान रखें मेजबान देश में आप उस देश के रोजगार के कानूनों द्वारा शासित होते हैं, इसलिए स्थानीय कानूनों, रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें।

किसी प्रकार की समस्या होने पर :-

24/7 Support

(i) नियोजित देश में स्थित भारतीय मिशन से संपर्क करें।

(ii) या MADAD पोर्टल https://madad.gov.in और प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्र के 24x7 helpline-011-26885021 या whatsapp सेवा 7428321144 पर संपर्क करें।

(iii) Tollfree No. 1800.11.3090 अथवा 0612-2521133 Protector of Emigrants, Patna पर सम्पर्क करें।

(iv) (1) E-mail ID-helplinemea@gov.in,
(2) poepatna@mea.gov.in अथवा
(3) bsopb-bih@gov.in पर सम्पर्क करें।

प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) हेतु https://pdot.mea.gov.in पर लॉग इन करें। | Follow Us : @YESDBihar